न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ़,
जिला जयपुर

किस्म:– मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नं0 ....

किशनलाल बनाम उगन्ता देवी व अन्य

मु.ऩं. 18/2024

04–03–2024	प्रार्थी के अभि. ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी के अभिभाषक ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है प्रार्थी के अभिभाषक के तरको पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब पेश करने तक इस अम्र की जारी कर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं. 829 रकबा 3.8000 हैक्टेयर वाके ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ़ में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 04–04–2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। आदेश 39 नियम 3 (ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना प्रार्थी द्वारा की जावे। आदेश 39 नियम 3 (ए)(1)(2)(3) व 3(ब)की पालना नहीं करने पर जारी शुदा अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी समझी जावेगी। अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 04–04–2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 RT Act को प्रार्थी ने विड्रो करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र 212 से सम्बन्धित केस वाद को विड्रो कर लिया है अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को भी विड्रो कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर